"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018 — फाल्गुन 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2017

शुद्धिपत्र

क्रमांक 11345/21-ब/छ. ग./2017. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 10532-10533/1429/21-ब/छ. ग./2017 दिनांक 13-11-2017 में निम्नानुसार संशोधन करता है -

उक्त आदेश में जहां कहीं भी शब्द "अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव" अंकित हो, उसके स्थान पर शब्द "अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.